

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



39

वाद सं०—m-12/2019

धारा-107 द०प्र०सं०

आरोपित व्यक्ति
सं० अ० मि० राम खोरा चौधरी

बनाम अज्ञात कुमारा रिह वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०—एम.....12/2019 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सोनाराडु (स्टे.)</u> के अप्राथमिकी सं०—<u>03/19</u> दिनांक—<u>26-02-19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>लोक सभा चुनाव को लोक स्टै कोर्टो दैनिकी सं० 10/19 दिनांक 26-02-19 बिधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>25/02/19</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

पृष्ठ सं. 5
दिनांक 25/05/19

पृष्ठ सं- 5


क्र. सं. एवं
दिनांक

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई एवं टिप्पणी
तारीख सहित

25-05-19

अभिलेख उपस्थापित । दिनांक पर
अधिवक्ता दायरी । लोक रक्षा चुनाव
2019 शक्ति पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है।
अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई
बन्द की जाती है।


25/05/19

